भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 930

सोमवार, 29 जुलाई, 2024 / 7 श्रावन, 1946 (शक)

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना (एनसीएलपी)

930. श्री बस्तीपति नागराजूः
श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना (एनसीएलपी) के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और असम राज्य में पहचाने गए, बचाए गए और पुनर्वासित बाल श्रम मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान खतरनाक परिस्थितियों में काम करते पाए गए बच्चों की विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और असम सहित राज्य-वार कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और असम सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय नागरिकों को बाल श्रम परियोजना के बारे में जागरूक करने के लिए कोई प्रचार/जागरूकता अभियान चलाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले 10 वर्षों में असम में स्कूलों या विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में भर्ती 9-14 वर्ष की आयु के बाल श्रम में लगे बच्चों की लिंग-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ङ) : श्रम और रोजगार मंत्रालय बाल श्रमिकों के बचाव एवं पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम कार्यान्वित कर रहा था जिसके अंतर्गत 9-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को कार्य से मुक्त कराया जाता है, एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों (एसटीसी) में नामांकित किया जाता है और औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में शामिल किए जाने से पहले उन्हें समायोजी शिक्षा आदि प्रदान की जाती है। एनसीएलपी योजना को दिनांक 01.04.2021 से शिक्षा मंत्रालय की एक योजना, समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के साथ समाहित कर दिया गया है। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के दौरान आंध्र प्रदेश और असम राज्यों सहित एनसीएलपी योजना के तहत काम से बचाए गए/हटाए गए, पुनर्वास और मुख्यधारा में लाए गए बच्चों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध I में दिया गया है। वर्ष 2018 से 2022 के लिए आंध्र प्रदेश और असम राज्यों सहित बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत दर्ज मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या अनुबंध II में दी गई है। एनसीएलपी योजना के तहत वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक आंध्र प्रदेश और असम सहित राज्यवार जारी अनुदानों का ब्यौरा अनुबंध III में दिया गया है।

मंत्रालय अपनी वेबसाइट और विभिन्न सोशल मीडिया हैंडलों के माध्यम से बाल श्रम के बारे में जन जागरूकता प्रदान करता है।

*** ******

अनुबंध-I

'राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना (एनसीएलपी)' के संबंध में श्री बस्तीपति नागराजू और श्री प्रद्युत बोरदोलोई द्वारा दिनांक 29.07.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 930 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के दौरान एनसीएलपी योजना के तहत काम से बचाए गए/हटाए गए, पुनर्वास और मुख्यधारा में लाए गए बच्चों की संख्या।

क्र.सं.	राज्य	2018-19	2019-20	2020-2021	2021-22	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	778	1049	622	2090	441
2	असम	4562	6175	2800	0	1291
3	गुजरात	101	341	531	50	0
4	हरियाणा	171	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
5	झारखंड	1225	2940	3239	755	410
6	कर्नाटक	763	363	275	230	0
7	मध्य प्रदेश	4910	4010	29179	1268	172
8	महाराष्ट्र	8122	9337	2031	2537	337
9	ओडिशा	लागू नहीं	6	495	76	1415
10	पंजाब	915	483	1307	986	2504
11	राजस्थान	लागू नहीं	1712	लागू नहीं	301	18
12	तमिलनाडु	2534	3928	1456	2183	2628
13	तेलंगाना	935	214	300	618	935
14	उत्तर प्रदेश	8020	10371	9383	1833	339
15	पश्चिम बंगाल	17137	13879	6671	5207	3270
16	उत्तराखंड	लागू नहीं	62	--	3	1
17	नागालैंड	111	24	--	--	
	कुल	50,284	54,894	58,289	18137	13761

स्रोत: श्रम और रोजगार मंत्रालय

'राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना (एनसीएलपी)' के संबंध में श्री बस्तीपति नागराजू और श्री प्रद्युत बोरदोलोई द्वारा दिनांक 29.07.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 930 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2018 से 2022 के दौरान बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार दर्ज मामलों की संख्या:

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018	2019	2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश	0	2	37	12	15
2	अरुणाचल प्रदेश	1	0	1	0	3
3	असम	39	68	40	78	86
4	बिहार	14	15	3	14	98
5	छतीसगढ़	0	2	0	0	0
6	गुजरात	35	64	39	40	42
7	हरियाणा	6	11	1	12	4
8	हिमाचल प्रदेश	0	0	1	0	0
9	झारखंड	17	18	27	5	6
10	कर्नाटक	63	83	54	58	62
11	केरल	3	2	0	3	0
12	मध्य प्रदेश	3	4	1	5	0
13	महाराष्ट्र	90	53	29	57	87
14	मेघालय	0	2	0	0	0
15	मिजोरम	0	0	0	0	1
16	ओडिशा	0	0	0	6	0
17	पंजाब	8	8	11	8	13
18	राजस्थान	32	48	30	19	28
19	तमिलनाडु	6	3	2	26	29
20	तेलंगाना	125	314	147	224	175

21	त्रिपुरा	0	0	1	0	0
22	उत्तर प्रदेश	2	9	1	1	10
23	उत्तराखंड	0	27	41	25	54
24	पश्चिम बंगाल	5	7	3	2	0
25	चंडीगढ़	0	0	1	7	2
26	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव +	0	2	0	0	0
27	दिल्ली	15	30	6	11	36
	कुल (अखिल भारत)	464	772	476	613	**751**

स्रोत: भारत में अपराध, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

अनुबंध-III

'राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना (एनसीएलपी)' के संबंध में श्री बस्तीपति नागराजू और श्री प्रद्युत बोरदोलोई द्वारा दिनांक 29.07.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 930 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना के तहत वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान राज्य-वार जारी अनुदान:

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	आंध्र प्रदेश	309.46	202.68	306.29	32.01	116.37
2.	असम	1109.45	198.28	49.64	81.10	140.68
3.	गुजरात	99.41	154.31	61.36	12.23	0
4.	हरियाणा	234.66	191.77	116.83	34.79	0
5.	जम्मू और कश्मीर	56.14	0	32.48	0	12.70
6.	झारखंड	0	274.54	177.42	0	60.73
7.	कर्नाटक	184.23	127.38	82.74	7.53	18.14
8.	मध्य प्रदेश	514.34	491.67	363.41	143.29	236.50
9.	महाराष्ट्र	106.19	998.70	931.49	196.53	102.54
10.	नागालैंड	0	4.00	0	0	0
11.	ओडिशा	138.62	188.57	115.16	236.66	57.24
12.	पंजाब	256.88	282.35	206.41	317.35	37.53
13.	राजस्थान	319.46	281.40	124.19	16.64	0.64
14.	तमिलनाडु	878.53	811.44	482.00	323.45	184.74
15.	तेलंगाना	204.56	132.11	152.86	71.56	94.65
16.	उत्तर प्रदेश	1420.72	759.66	433.83	137.70	99.91
17.	उत्तराखंड	0	32.64	0	0	0
18.	पश्चिम बंगाल	1896.90	2503.72	463.37	203.10	424.26

स्रोत: श्रम और रोजगार मंत्रालय

****